तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... जो इस हुक्... में ज...
	रिकार्ड व रिपोर्ट प.ह. तथा T.D.R. MNM देखा। पुनः रिपोर्ट से भी प्रार्थीगण के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। अतः प्रार्थीगण का प्रा.पत्र 09 R 13 CPC स्वीकार किया जाकर प्रकरण G. 301/15 स्टेट V. कृष्ण वगैरा में जारी आदेश दिनांक 27.7.16 को आंशिक संशोधन प्रार्थीगण के हद तक किया जावे शेष आदेश यथावत रहेगा। विस्तृत आदेश अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया जो शामिल मिसल रहे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे। [initials]	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

बईजलासः— सुरेन्द्रसिंह (आर0ए0 एस0)

प्रकरण संख्या 301/15

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हनुमानगढ़

—प्रार्थी

बनाम

कृष्ण,तेजा पि0 श्री सुल्तान जाति बावरी निवासी चक 3 के डब्ल्यू एम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

————अप्रार्थी/खातेदारी काश्तकार

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर टी एक्ट
(प्रार्थना—पत्र रामचंद्र वगैरा आदेश 9 नियम
13 सी पी सी प्रकरण संख्या 273/16)

निर्णय दिनांक 11.05.2016

आंशिक संसोधन

इस न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी तहसीलदार हनुमानगढ़ का प्रार्थना—पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त कृषि भूमि चक 3 के डब्ल्यू एम के प0 न0 156/389 में किला न0 16,17,19 ता 22 व प0 न0 156/390 किला न0 3 ता 8 कुल 3.036 है0 कृषि भूमि मय गै0 मु0 भूमि से अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त कर राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के स्थान पर आराजी राज दर्ज किया जाकर कब्जा बहक सरकर लेने के आदेश पारित किये गये।

प्रार्थीगण रामचन्द्र, राजकुमार उर्फ राजू पि0 श्री रामलाल जाति भाट निवासी रावतसर ने प्रार्थना—पत्र पेश किया कि चक 3 के डब्लयू एम के प0 न0 156/389(33) किला न0 16,17 कुल 0.506 है0 कृषि भूमि हमारी खातेदारी है तथा उस पर कृषि कार्य ही किया जा रहा है। जबकि ईंट, भट्टा संचालित नहीं किया जा रहा है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चक 3 के डब्ल्यू एम के खाता संख्या 38/33 व रिपोर्ट पटवारी हल्का से भी इस तथ्य की पुष्टि हो रही है कि प0 न0 156/389(33) किला न0 16,17 में गैर

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

कृषि कार्य (ईंट भट्टा) संचालित नहीं हो रहा है। उक्त भूमि अप्रार्थीगण कृष्ण–तेजा पि0 श्री सुल्तान जाति बावरी साकिनान चक 3 के डब्ल्यू एम के स्थान पर रामचन्द्र वगैरह पि0 श्री रामलाल आदि की है इस प्रकार पूर्व आदेश आंशिक आंशिक त्रुटि पूर्ण है जो काबिल दुरूस्ती है।

अतः गत आदेश दिनांक 27.07.2016 की निरन्तरता में आंशिक संशोधन इस आशय का किया जाता है कि चक 3 के डब्ल्यू एम तहसील हनुमानगढ़ की कृषि भूमि प0 न0 156/389 में किला न0 16,17,19 ता 22 व प0 न0 156/390 किला न0 3 ता 8 कुल 3.036 है0 कृषि भूमि मय गै0 मु0 भूमि में प0 न0 156/389 में किला न0 16,17 कुल 0.506 है0 आराजी को आराजी राज के स्थान पर पुनः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम से दर्ज कर कब्जा प्रार्थीगण को सुपुर्द किया जावे। तहसीलदार हनुमानगढ़ को आदेश की पालना सुनिश्चित करें, शेष आदेश यथावत रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 11.05.2018 को कैम्प लखूवाली में लिखाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी हनुमानगढ़

सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner